DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- millenniumpost
NEW DELHI | SUNDAY, 29 SEPTEMBER, 2024

DDA housing scheme: Over 1,200 LIG and 440 EWS flats sold out

Schemes launched in Aug 2024 under Delhi L-G have seen remarkable success

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Over 1,200 LIG and 440 EWS flats were sold out in DDA's Sasta Ghar and Madhyam Vargiya Housing schemes, an official statement said on Saturday.

In Ramgarh, out of 183 LIG flats in the scheme, 153 flats were sold, it said. While 708 LIG flats were sold in Rohini and around 250 flats were booked in Narela.

Among the EWS segment, around 300 flats were sold out in Narela and all 139 flats offered in Loknayakpuram were also booked, it said.

Since the first day of the booking on September 10, the scheme has received an impressive response with all HIG flats offered at Jasola being sold out on Day 1, the statement said. The latest to join the bandwagon were flats in Dwarka, where a balanced inventory of one penthouse, three super HIG, 18 HIG and a majority of MIG got sold in the bidding. The demand can be gauged from the fact that for 169 flats, around 2,000 people deposited the EMDs and after several rounds of bidding, the flats were sold at much above the reserve price, it said.

EWS flats stand tall in Loknayakpuram PIC/MPOST

The housing schemes were launched under the guidance of Delhi L-G Vinai Kumar Saxena, who has been personally spearheading and monitoring the schemes, the statement said. This remarkable success can be attributed to DDA's commitment to providing quality housing at affordable prices, coupled with the strategic development plans, it stated.

> Among the EWS segment, around 300 flats were sold out in Narela and all 139 flats offered in Loknayakpuram were also booked

The DDA is developing greens around the housing pockets to improve the quality of life for the buyers. Besides, additional final touches are being given to housing blocks to add value, it said.

Furthermore, DDA is in touch with local bodies to ensure the cleanliness of the area. These efforts demonstrate DDA's dedication to not only providing just affordable housing but also creating a sustainable and thriving community for its residents, it said.

For the ease of the buyers, seamless information to them is being provided. Property documents are being given in a folder containing all relevant documents, the statement said.

The DDA launched its three housing schemes in August 2024, 'Sasta Ghar' and 'Madhyam Vargiya Housing schemes' and 'Dwarka Housing Scheme', for various locations like Dwarka, Jasola, Narela, Rohini, Loknayakpuram, Ramgarh and Siraspur for various categories of flats, it said.

While buyers can book flats for the first two schemes on a first come first serve (FCFS) basis, flats were sold through e-auction in the Dwarka Housing Scheme. The Dwarka Housing scheme has been closed while FCFS is still in operation.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEWSPAPERS--- NEW DELHI | SUNDAY, 29 SEPTEMBER, 2024

Bandhwari landfill is a living hell for Gurugram residents

Since its inception in 2010, the Bandhwari dumpsite has become a major waste repository in the region PIC/PTI

NEW DELHI: After Jasola, all flats of the Delhi Development Authority (DDA) offered under the housing scheme in Rohini have been sold out, officials said on Saturday.

For residents of Haryana's Bandhwari village on the Gurugram-Faridabad border, home to one of the largest landfill sites in the country, elections mean politicians visiting the garbage hill for "photo-ops" and making "mountains of promises".

The locals, meanwhile, continue to struggle with contaminated water, diseases, including difficulty breathing, loss of business, and much more.

Since its inception in 2010, the Bandhwari dumpsite has become a major waste repository in the region, receiving more than 2,000 tonnes per day (TPD) of mixed waste -- 1,400 TPD from Gurugram and 600 TPD from Faridabad. Unfortunately, only a small fraction of the waste generated by the two cities is processed.

"In the last few years, during summer and monsoon, it became increasingly difficult to even sit outside our homes. If the wind blows from the dumpsite to the village, one can't even breathe. The waste has also contaminated the water in the area. From the dumpsite, it seeps into valleys and abandoned mines and contaminates the groundwater. We can't even bathe in the water that comes from the village borewells," Sumit Rawat, a villager, said.

"Everytime there is an election, politicians come, take photos and announce that the dump would be removed but they are just mountains of promises," he said.

For Dharmveer Prajapati, who owns a petrol pump on the Gurugram-Faridabad highway, the landfill poses another challenge. "Trucks full of garbage come here every day and cause traffic chaos. My staff has to keep their faces covered all the time because the air around is so poisonous," he said.

The ordeal is the same for dhaba owners on the highway that rarely get customers, unlike such eateries on other routes. "There is a foul smell, mosquitoes and dust are everywhere, so people do not prefer to make a stop here. The situation has worsened in the past few years... It wasn't this bad earlier," said dhaba owner Virender Tanwar. AGENCIES

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer
NAME OF NEWSPAPERS— NEW DELHI I SUNDAY I SEPTEMBER 29, 2024

Three housing schemes launched by DDA on Rakshabandhan received impressive response: Officials

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The three housing schemes launched by Delhi Development Authority(DDA) on the auspicious occasion of Raksha Bandhan received impressive response, with flats of various categories across several locations, particularly affordable housing, generating good demand among the buyers, officials of the agency said on Saturday.

Giving details, they said over 1,200 LIG and 440 EWS flats were sold out in Sasta Ghar and Madhyam Vargiya Housing schemes, with Rohini leading where all 708 LIG flats were sold while around 250 flats were booked in Narela. Ramgarh also received impressive response. Out of 183 LIG flats in the scheme, 153 flats were sold

Among the EWS segment, around 300 flats were sold out in Narela and all 139 flats offered in Loknayakpuram were also booked.

Delhi Lt Governor(LG)V K Saxena who reviewed the status, lauded DDA's efforts in this direction and reiterated the Prime Minister's and his personal commitment to housing for all, while prioritising the poor and not so well of sections.

Since the first day of the booking , i.e., September 10, the scheme is receiving impressive response with all HIG flats offered at Jasola were sold out on Day one.

The latest to join the bandwagon were flats in Dwarka, where balance inventory of one penthouse, three super HIG, 18 HIG and majority of MIG got sold in the bidding. The demand can be gauged from the fact that for 169 flats, around 2,000 people deposited the EMDs and after several rounds of bidding, the flats were sold at much above the reserve price.

The success story of Narela has been quite encouraging as DDA has taken several steps for the development of the promising sub-city. It is being developed as the upcoming education hub of Delhi, with many institutions being already operational and several projects in pipeline.

The proposed Rithala-Narela-Kundli metro rail corridor and Urban Extension Road project will further boost connectivity in the area. Many healthcare facilities are also on the anvil in Narela, which will aid growth of the sub city. There are many works underway to improve and develop road network connectivity, drainage network, electrical connecting, water supply, and sewerage network in the Narela Zone.

The housing schemes were launched under the guidance of the LG, who has been personally spearheading and monitoring the housing schemes.

This remarkable success can be attributed to DDA's commitment to providing quality housing at affordable prices, coupled with the strategic development plans. The DDA is developing greens around the housing pockets to improve quality of life for the buyers.Besides, additional final touches are being given to housing blocks to add value. Furthermore, DDA is in touch with local bodies to ensure cleanliness of the area. For those areas under its jurisdiction, DDA is leaving no stone unturned to ensure a green and clean Delhi. These efforts demonstrate DDA's dedication to not only providing just affordable housing but also creating a sustainable and thriving community for its residents.

For the ease of the buyers, seamless information to them is being provided. Property documents are being given in folder. The folder to contain all relevant documents that include demand-cum-allotment letter (DAL), payment receipt, possession letter (PL), NOC for water and electricity, possession slip, RERA registration certificate and layout plan. Besides, DDA has provided all buyers with demand letters within 24 hours.

The DDA launched its three housing schemes in August 2024-Sasta Ghar and Madhyam Vargiya Housing Schemes and Dwarka Housing Scheme for various locations like Dwarka, Jasola, Narela, Rohini, Loknayakpuram, Ramgarh and Siraspur for various categories of flats.

While buyers can book flats for the first two schemes on First Come First Serve (FCFS) basis, flats were sold through e-auction in Dwarka Housing Scheme.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

LIBRARY

PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS पंजाब केसरी DELHI ▶ 29 सितम्बर, 2024 ▶ रविवार

डीडीए आवासीय योजनाओं का मिल रहा अच्छा रेस्पांस

अब तक 1200 से अधिक एलआईजी व 440 ईडब्ल्यूएस फ्लैट की हुई बिक्री

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सस्ता घर और मध्यम आवास योजना को लोगों का अच्छा रेस्पांस मिल रहा है। इसके तहत अब तक 1200 से अधिक एलआईजी और 440 ईडब्ल्यूएस फ्लैट की बिक्री हो चुकी है। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि रामगढ़ में स्थित 183 फ्लैट में 153 फ्लैट की ब्रिकी हो चुकी है। वहीं रोहिणी में 708 एलआईजी और नरेला के 250 फ्लैट की बुकिंग हुई है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नरेला में लगभग 300 फ्लैट बिक चुके हैं और लोकनायकपुरम में सभी 139 फ्लैट बुक हो चुके हैं। 10 सितंबर को बुकिंग के पहले दिन से ही इस योजना को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और जसोला में पेश सभी एचआईजी फ्लैट पहले दिन ही बिक गए। अब इसी के साथ द्वारका के बने फ्लैट की पेशकश की जा रही है जहां पर एक पेंटहाउस, तीन सुपर एचआईजी, 18 एचआईजी और अधिकांश एमआईजी की बिक्री के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 169 फ्लैट के लिए करीब 2,000 लोगों ने बोली लगाई और कई दौर की बोली के बाद फ्लैट आरक्षित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर बिके। अधिकारियों ने कहा कि ये आवासीय योजनाएं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में शुरू की गईं थी, ये व्यक्तिगत रूप से इन योजनाओं का नेतृत्व और निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने डीडीए ने अगस्त 2024 में तीन आवास योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सस्ता घर और मध्यम वर्गीय आवास योजनाएं व द्वारका आवास योजना शामिल है। इसके तहत द्वारका, जसोला, नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम, रामगढ़ और सिरसापुर सहित विभिन्न स्थानो पर विभिन्न श्रेणी के फ्लैट की पेशकश की जा रही है। पहली दो योजनाओं के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्लैट बुक कर सकते हैं जबकि द्वारका आवास योजना के तहत फ्लैट ई-नीलामी के जरिए बेचे गए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। रविवार • 29 सितम्बर • 2024 राष्ट्रीय सहारा

NAME OF NEWSPAPERS--DATED------

amarujala.com
नई दिल्ली | रविवार, 29 सितंबर 2024

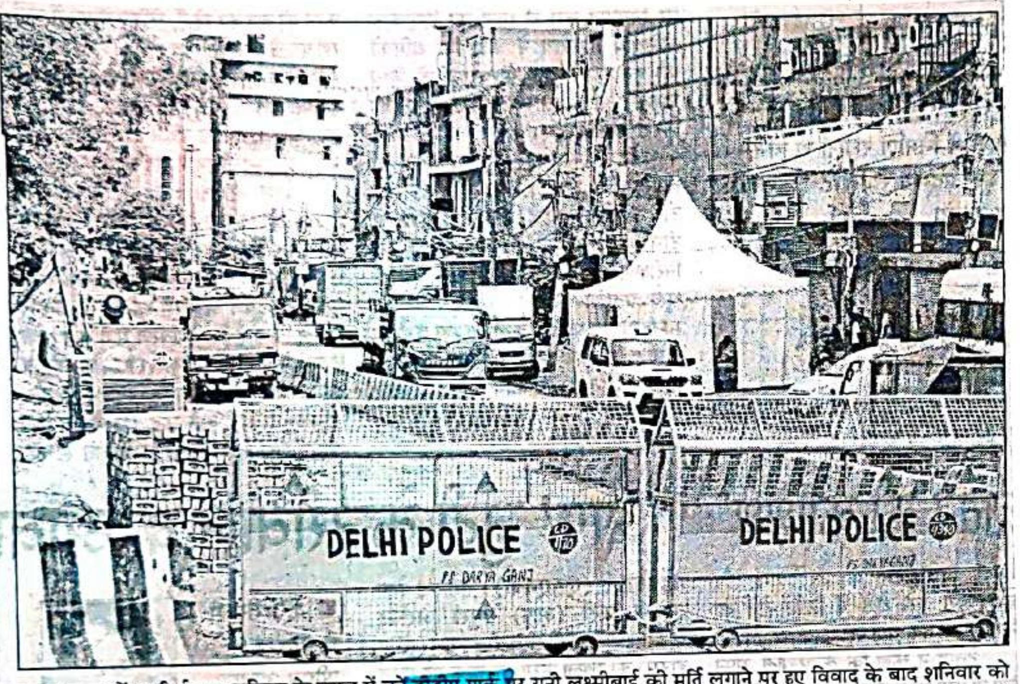

सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बगल में बने डीडीए पार्क पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर हुए विवाद के बाद शनिवार को बेरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई। फोटो : एसएनबी

एलआईजी श्रेणी के 1200 व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 440 फ्लैट की बिक्री का दावा

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दावा किया है कि मध्यवर्गीय एवं सस्ता घर आवासीय योजना के तहत एलआईजी श्रेणी के 1200 से अधिक और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी के 440 से अधिक फ्लैट अब तक बिक चुके हैं। प्राधिकरण ने बुकिंग प्रक्रिया 10 सितम्बर से शुरू की है। खरीदारों ने सबसे अधिक रुचि रोहिणी के फ्लैटों में दिखाई। डीडीए के मुताबिक स्थित 183 फ्लैटों में से 153 फ्लैट की बिक्री हो चुकी है। रोहिणी के 708 एलआईजी और नरेला के 250 फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है। दक्षिणी दिल्ली स्थित जसोला में सभी फ्लैट की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। फ्लैट के खरीदार को 24 घंटे के भीतर मांगपत्र जारी कर दिया जाएगा।

नरेला स्थित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के करीब 300 फ्लैट बिक चुके हैं। लोकनायक पुरम के सभी फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है। अधिकारी का कहना है कि द्वारका स्थित एक पेंटहाउस, तीन सुपर एचआईजी, 18 एचआईजी और अधिकांश एमआईजी श्रेणी की बिक्री के लिए लोगों ने आवेदन किया है। हालांकि यह फ्लैट ऑन लाइन ई नीलामी प्रक्रिया के तहत आवंटित किए जाएंगे। अधिकारी का कहना है कि ई नीलामी प्रक्रिया में शामिल 169 फ्लैट के लिए करीब 2,000 लोगों ने बोली लगाई है। सबसे अधिक कीमत की बोली लगाने वाले को ही आवंटित किया जाएगा। डीडीए ने पहले आओ-पहले पाओ के तहत अगस्त में एक साथ तीन आवासीय योजनाएं सस्ता घर, मध्यम वर्गीय आवास योजनाएं एवं द्वारका आवास योजना शुरू की थी। इन योजनाओं में करीब 40 हजार फ्लैट शामिल हैं। यह फ्लैट द्वारका, जसोला, नरेला, रोहिणी, लोकनायकपुरम, रामगढ और सिरसपुर में हैं।

डीडीए की आवासीय योजना को मिली अच्छी प्रतिक्रिया, बिके फ्लैट

नई दिल्ली। रक्षाबंधन के अवसर पर डीडीए की ओर से शुरू की गईं आवासीय योजनाओं को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसमें सस्ता घर और मध्य वर्गीय हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 1200 से अधिक एलआईजी और 440 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बिके हैं। इसमें रोहिणी सबसे आगे रहा है, जहां सभी 708 एलआईजी फ्लैट बिके हैंए जबकि नरेला में करीब 250 फ्लैट बुक हुए।

इसके अलावा रामगढ़ में 183 एलआईजी फ्लैट में से 153 बिके हैं। वहीं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंदर नरेला में लगभग 300 फ्लैट बिके। लोकनायक पुरम में ऑफर किए गए सभी 139 फ्लैट भी बुक किए गए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्थिति की समीक्षा की और इस दिशा में डीडीए के प्रयासों की सराहना की है।

बुकिंग के पहले दिन यानी 10 सितंबर से ही इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसके तहत जसोला में सभी एचआईजी फ्लैट पहले दिन ही बिक गए। इस दौड़ में जुड़ने वाला सबसे नया नाम द्वारका के फ्लैटों का है, जहां बैलेंस इन्वेंट्री के एक पेंटहाउस, तीन सुपर एचआईजी, 18 एचआईजी और अधिकांश एमआईजी बोली में बिके। लोगों की मांग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 169 फ्लैटों के लिए लगभग 2000 लोगों ने ईएमडी जमा कराए। कई दौर की बोली के बाद फ्लैट आरक्षित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर बिक गए। ब्यूरो

ईदगाह के पास लक्ष्मी बाई की मूर्ति की स्थापना का काम शुरू

नई दिल्ली। शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति स्थापित करने का काम शनिवार को एक बार फिर शुरू हो गया। इस दौरान इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल की टुकड़ियां तैनात दिखीं।

निगम के अधिकारी लगातार इस कार्य की निगरानी कर रहे थे। ऐसे में सदर बाजार में पार्क के चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर कड़ी पहरेदारी की जा रही थी। किसी बाहर वाले को आने-जाने नहीं दिया जा रहा था।

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि झांसी की महारानी लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय नायक हैं। इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि शाही ईदगाह प्रबंध समिति की मूर्ति स्थापना के खिलाफ अपनी याचिका में निंदनीय दलीलें देने के लिए खिंचाई की गई। विरोध करने वाले लोगों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गौरतलब है कि तीस हजारी कोर्ट से पंचकुइयां तक मार्ग सिग्नल फ्री होना है।

डेढ़ किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर निगम ने एक फ्लाईओवर 2018 में शुरू किया था, जोकि तीस हजारी से लेकर फिल्मिस्तान तक है। इसके बाद ईदगाह और फिर रानी झांसी गोल चक्कर पर दो बड़ी ट्रैफिक लाइट हैं। योजना है कि इन लाइट को खत्म कर तीस हजारी से लेकर पंचकुइयां रोड तक सिग्नल फ्री किया जा सके। संवाद

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नई दिल्ली। शनिवार • 28 सितम्बर • 2024 राष्ट्रीय सहारा

राजधानी की डेयरियों को सीलिंग से राहत दिलाने की कवायद

नई दिल्ली (एसएनबी)। विधानसभा में शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न इलाकों में दूध की डेयरियां चलाने वालों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने एवं जमीन के भू-परिवर्तन (मिश्रित भू-उपयोग) का मामला उठा। विधानसभा में यह संकल्प सत्तापक्ष के विधायक कुलदीप कुमार ने रखा। सत्तापक्ष एवं विपक्ष ने समर्थन किया। सत्तापक्ष के विधायकों का तर्क था कि डेयरियों का स्वरूप बदल गया है और अधिकांश डेयरियां आवासीय क्षेत्र में तब्दील हो गई हैं। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल उन लोगों को सीलिंग की कार्रवाई से राहत मिलनी चाहिए। जिससे उनके ऊपर तोड़फोड़ की कार्रवाई की लटकी तलवार हट सके। संकल्प पत्र बहुमत से पास हो गया।

आप विधायक कुलदीप कुमार ने संकल्प पत्र रखते हुए कहा कि यह डेयरियां वर्ष 1975-76 में बसाई गई थीं। उस समय लोगों की जरूरत थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अधिकांश डेयरियों में अब उनके परिवार रहने लगे हैं। इसके साथ ही डेयरियों में काम करने वाले मजदूर भी रहने लगे हैं। वर्ष 2018 में इसके आकलन के लिए एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इन्हीं तथ्यों का खुलासा किया है। विधायक नरेश यादव का कहना था कि आरोप लगाया जा रह कि वहां गंदगी रहती है, जबकि असलियत यह है कि दिल्ली जल बोर्ड को वहां पानी की लाइन बिछाकर पेयजल की आपूर्ति करनी थी, लेकिन जल बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली नगर निगम भी

- **सत्तापक्ष का संकल्प पत्र बहुमत से पास**
- **मिश्रित भू-उपयोग के साथ ही मालिकाना हक देने की मांग**
- **डेयरियों को तत्काल तोड़ फोड़ की कार्रवाई से राहत की जरूरत : विजेंद्र गुप्ता**

मूलभूत सुविधाएं देने में असफल रहा है। इसी के चलते डेयरियों में लोगों को अनधिकृत रूप से पानी के लिए समरसेबल लगानी पड़ीं। जानवरों के इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। 80 से 90 फीसद तक डेयरियां आवास में तब्दील हो गई हैं। जय भगवान, सहीराम, मदन लाल समेत अन्य विधायकों ने भी अपनी बात रखी। विधायक सोमनाथ भारती का आरोप था कि डेयरियों को लेकर अधिकारियों ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रखा। जिसकी वजह से यह हालात बने। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनकी मांग है कि सरकार तात्कालिक तौर पर डेयरी मालिकों को सीलिंग की कार्रवाई से राहत दे। डेयरी वाले लोग अधिकृत रूप से वहां रह रहे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह जमीन उन्हें लीज पर आवंटित की है। डेयरी मालिकों को तत्काल राहत देते हुए भूमि का लैंड यूज चेंज किया जाए और सभी को जमीन का मालिकाना हक मिले। जिससे डेयरी मालिक उसकी जमीन के मालिक बन सकें।

दिल्ली की सभी डेयरियों की कमोवेश यही स्थिति है। दोनों पक्षों की मांग थी कि संकल्प पत्र को पास कर जल्द उप-राज्यपाल के भेजा जाए, जिससे डेयरियों को जल्द राहत मिल सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- दैनिक भास्कर नई दिल्ली, शनिवार 28 सितंबर, 2024 -DATED---------------------

विधानसभा • आप विधायक संजीव झा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर एलजी से की मांग

यमुना घाट पर छठ पूजा के आयोजन की मांग को लेकर विस में प्रस्ताव पास

यमुना नदी में छठ पूजा मनाने पर साल 2020 में कोरोना के समय रोक लगा दी गई थी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली में पूर्वांचलियों के महापर्व छठ पूजा को लेकर इस बार आम आदमी पार्टी (आप) सरकार चाहती है कि इसका आयोजन पहले की तरह यमुना नदी पर धूमधाम से हो। साल 2020 में कोरोना के समय यमुना नदी में छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सरकार द्वारा बनाए गए कृत्रिम घाटों पर छठ पूजा होती आ रही है। हालांकि, अब दिल्ली विधानसभा सत्र में आप विधायक संजीव झा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए एलजी वीके सक्सेना से मांग की है कि इस बार पहले की तरह यमुना नदी में छठ पूजा करने की इजाजत दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि छठ पूजा दिल्ली में 2020 से पहले बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पहले 68 जगहों पर छठ पूजा होती थी अब 1100 जगहों पर बनाए घाटों पर पूजा होती है। यमुना नदी में छठ पूजा का रोक लगाने संबंधी डीडीए के आदेश को वापस ले लिया जाए। ये एलजी से मांग करते हैं। एलजी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के मुखिया भी हैं। उन्होंने कहा कि छठ पूजा पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्योहार है। उन्हें याद है कि बचपन में वे भी किस तरह अपने परिवार के साथ द्वारका से आईटीओ पर यमुना नदी किनारे छठ पूजा मनाने के लिए आते थे। ये पवित्रता का त्योहार है, इसमें नदी के गंदे होने का कोई सवाल ही नहीं है। एलजी से निवेदन है कि डीडीए द्वारा वर्ष 2020 में जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए और दोबारा से यमुना के घाटों पर छठ पूजा की अनुमति दी जाए। बता दें कि इस वर्ष छठ पूजा 5 से 8 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें 7 नवंबर को अस्तलगामी सूर्य देव को और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य देव को श्रद्धालु अर्घ्य देंगे।

6 महीने से बंद पड़ी बुज़ुर्गों और विधवाओं की पेंशन फिर बहाल

दिल्ली सरकार द्वारा बुजुर्गों और विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन पिछले 6 महीने से बंद थी। अब 3 दिन पहले इसे दोबारा बहाल कर दिया गया है। इस पर शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान आप विधायक दिलीप पांडे ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो विधवा पेंशन और बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, 6 महीने पहले पेंशन की राशि में 2500 रुपए में से केंद्र सरकार से मिलने वाला हिस्सा 300 रुपए बंद कर दिया गया, जिस वजह से पेंशन रोक दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पेंशन मद में 2200 रुपए देना शुरू किया है। इससे 1 लाख पेंशन लाभार्थियों को फायदा होगा। इस पर नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2018 से पेंशनधारकों में नए को नहीं जोड़ा गया, इस पर सरकार विचार करे।

देश में कानून का राज है, इसलिए दोबारा सदन में बैठा हुआ हूं : मनीष सिसोदिया

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से पहली बार विधानसभा में भाषण देते हुए सिसोदिया ने कहा कि देश में कानून का राज है, इसलिए वे दोबारा सदन में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा का राज होता तो वे जिंदगीभर जेल में सड़ जाते। सिसोदिया ने कहा, देश में कानून का राज है, इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने विपक्षी नेताओं पर गैरकानूनी काम किए जाने की वजह से कोर्ट से भाजपा को गालियां पड़ रही हैं। सिसोदिया ने आप के कई विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए और अधिकतर केस से बरी हो गए। उन पर वो कानून लगा दिया गया जो आतंकियों के लिए है। ईडी कोर्ट में वही बोलती है जो भाजपा कहती है।

केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, अब सारे रुके हुए काम पूरे होंगे : आतिशी

सीएम आतिशी ने विधानसभा में कहा कि पिछले 6 महीने से जब से अरविंद केजरीवाल जेल में थे, भाजपा ने दिल्लीवालों के काम रोकने की हर संभव कोशिश की। 6 महीने तक बुजुर्गों की पेंशन रोकी रखी, विधवाओं की पेंशन रोके रखी, जल बोर्ड के पैसे रुकवा दिए, सड़कें रिपेयर नहीं होने दीं, अस्पताल-मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां रुकवा दीं, लेकिन अब केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्लीवालों के हर रुके काम पूरे होंगे। जो षड्यंत्र भाजपा ने दिल्लीवालों के भाई-बेटे केजरीवाल के खिलाफ रचा है, जनता उसका जबाव देगी। फरवरी में आने वाले चुनाव में भाजपा की एक सीट भी नहीं आएगी। दिल्ली के लोग केजरीवाल को 70 में से 70 सीटें देंगे और दोबारा अपना सीएम बनाएंगे, जबकि भाजपा की सीटें 8 से 0 पर आ जाएंगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024 DATED----------------------

Address Upgrade That Never Happened

Over 30k Houses Built For Urban Poor Are Losing Sheen Even As Demolition Sword Hangs Over Slum Dwellers

Kushagra.Dixit
@timesofindia.com

New Delhi: Despite Delhi High Court's intervention, over 30,000 houses constructed by Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) for the urban poor and slum dwellers remain unallotted for years. These houses are now decaying by simply lying vacant.

A prod by HC last year had revealed that of the 52,000 houses — worth over Rs 2,000 crore — sanctioned for the urban poor in Delhi, more than 35,000 were built. However, only 4,800 of these were allotted, leaving more than 30,000 houses unoccupied.

On July 10 this year, HC again directed DUSIB to ensure that the houses were "habitable at the earliest". A clash of policy, as claimed by Delhi

TIMES *Special*

govt, seems to be keeping lakhs of urban poor from a proper house. The July order referred to the previous order by HC dated Sept 18, 2023, under which a high-powered committee consisting of representatives from Union ministry housing and urban affairs (MoHUA), Delhi Development Authority DUSIB and Delhi govt was formed to expedite the allotment of the already constructed houses.

The court, in the same order, also noted that due to the "delay and inevitable decay of infrastructure caused by non-use, some of the constructed houses require immediate repairs", while asking Delhi govt to form a robust action plan to complete pending construction, repair the already constructed houses, and allot them. The court had also noted that several of the constructed houses lacked civic amenities like water and electricity.

However, despite reminders from the court, not much has happened even as several eligible slum dwellers continue to live under the threat of anti-encroachment drives.

TOI visited one such site at Bhalswa and discovered a ghost town of sorts with thousands of flats lying vacant, many of which were in a state of disrepair. The staircases and walls had suffered deep cracks and pipelines were damaged. The inside of the houses looked inhabitable.

DUSIB officials declined to comment on the matter, merely stating that the responsibility for ensuring the allotment fell under the purview of Delhi govt's urban development department.

Delhi govt, on the other hand, claimed that the Centre was not letting it allot the houses. "The flats located at Bhalswa are constructed for allotment to eligible JJ dwellers under Mukhya Mantri Awas Yojna (MMAY). Thousands of other flats have been constructed for rehabilitation of slum dwellers. However, no flat under MMAY is being allotted to slum dwellers because the Centre is not giving clearance. It says all such flats should be allotted under the affordable rental housing scheme, which means they will be rented out," claimed a reply from Delhi govt.

It claimed that previous communications to the Centre by the then Delhi urban development minister and deputy CM chief minister did not yield any results.

Govt further claimed that the Centre's scheme was "impractical" as no jhuggi dweller was ready to shift to a rental accommodation. "On one hand, the central agencies have been carrying out demolitions of JJ clusters across Delhi and, on the other, they are not ready to rehabilitate these people. This is leading to a humanitarian crisis in Delhi where poor people are being forced to live on roads and footpaths, and under flyovers. They lose their livelihoods and their children miss school, which further creates civic and social problems," it said.

While no official reply was forthcoming from MoHUA even after three days, sources said meetings were on with Delhi govt and allotment of the houses would begin soon.

Meanwhile, Paras Tyagi from Centre For Youth Culture Law and Environment pointed out that DUSIB had acquired over 7,000 acres of land in Delhi from different departments for providing housing to the urban poor, but failed to meet its mandate. Tyagi claimed that RTI replies had revealed that DUSIB had not prepared a single housing scheme for years.

52,344 houses under **14 projects approved for urban poor in Delhi**, at an estimated cost of ₹2,415.82 crore	35,744 houses with one bedroom plus kitchen constructed in areas such as **Bhalswa, Bawana, Narela** and **Dwarka**, among others	4,900 of these have been allotted so far. These **houses were constructed by DUSIB**, with aid from the Centre	Over 30,000 houses, ready but vacant. These **houses are now in a poor condition**, in urgent need of repair	**WHY THESE HOUSES COULD HAVE HELPED**	Delhi has 3,67,893 slum households where 17,85,390 people live. Most of the **illegal slums, such as those in forested areas of Delhi**, could not be removed as dwellers are yet to be allotted houses by DUSIB

Photos: Anindya Chattopadhyay

Ghost town of Delhi's own making

Climbdown from all promises

Damp squib for targeted beneficiaries

A family of a DUSIB worker finds temporary abode in one of the flats

Resettlement story gone all wrong

Drain on govt resources

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024 DATED----------

DDA enhances housing schemes with a fresh finish and green spaces

Vibha.Sharma@timesofindia.com

New Delhi: Following an encouraging response to the flats offered in three recent housing schemes launched last month, Delhi Development Authority (DDA) has prioritised developing green spaces around the housing areas and giving a fresh finish to unsold inventory where needed. The authority also plans to work with local bodies to ensure cleanliness in these areas.

"DDA's horticulture department is busy developing greens around the housing pockets to improve the quality of life for buyers. Besides, additional final touches are being given to housing blocks to add value. Apart from pursuing Municipal Corporation of Delhi for taking up the cleaning task in flats or areas under their jurisdiction, we are leaving no stone unturned to ensure green and clean surroundings in areas under our jurisdiction," said an official.

Officials reported that at least 1,650 out of nearly 9,000 flats offered in phase I of the Sasta Ghar Housing Scheme and Madhyam Vargiya Housing Scheme 2024 are being sold on a first-come, first-served basis. These flats are located in Jasola, Narela, Rohini, Loknayakpuram, Ramgarh, and Siraspur across various categories. Moreover, over 130 out of 169 flats offered through e-auction in the Dwarka Housing Scheme have been sold. These flats are in Sectors 14, 16B, and 19B of Dwarka under the Penthouse, HIG, Super HIG, and MIG categories.

"Over 1,200 LIG and 440 EWS flats were sold out in Sasta Ghar and Madhyam Vargiya Housing schemes, with Rohini leading where all 708 LIG flats were sold, while around 250 flats were booked in Narela. Ramgarh also received an impressive response; out of the 183 LIG flats in the scheme, 153 flats were sold. Among the EWS segment, around 300 flats were sold out in Narela, and all 139 flats offered in Loknayakpuram were also booked," informed officials.

"Lieutenant governor VK Saxena, who is constantly reviewing the status of housing schemes, also lauded our efforts in this direction and prioritised the need for serving the poor and not-so-well-off sections by offering EWS and LIG flats at a modest rate," said an official.

In Narela, the authority is working on developing educational institutions, a metro rail corridor, and improving road network connectivity, drainage, electrical connections, water supply, and sewerage networks.

Buyers can book flats through DDA's website www.dda.gov.in or call 1800110332. They can also find details about the flats, including location, category, nearby amenities, photos, videos, and directions, through the link https://eservices.dda.org.in/hs.html.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ हिन्दुस्तान नई दिल्ली, सोमवार, 30 सितंबर 2024 ---DATED----------------------

द्वारका सेक्टर-6, खड़खड़ी गांव और गीता कॉलोनी के पास तालाबों में दिख रही कई बदइंतजामी

सड़कें लबालब पर जलाशय सूखे रह गए

अनदेखी

■ संजय कुशवाहा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मानसून के दौरान खूब बारिश हुई, लेकिन आसमान से बरसी इस नियामत को सहेजने में हम चूक गए। भारी बारिश के बावजूद दिल्ली के कई जलाशय अभी भी सूखे हैं। बारिश का पानी इन जलाशयों तक नहीं पहुंचा।

दिल्ली में इस बार मानसून की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। 28 जून को मानसून दिल्ली पहुंचा और पहले ही दिन 24 घंटे के भीतर 228 मिलीमीटर पानी बरसा। एक साथ इतना ज्यादा पानी बरसने से पूरी दिल्ली ही दरिया बन गई थी। आवासीय कॉलोनियों में भी घुटने तक पानी भरा और कई जगहों पर अंडरपास में बसों के डूबने लायक पानी जमा हो गया। बारिश के चलते होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। जून के बाद जुलाई में बारिश आमतौर पर सामान्य रही, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अब तक मानसून के चारों महीने में दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में कुल मिलाकर 1029.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।

द्वारका सेक्टर-6 स्थित तालाब के पास डीडीए ने सूचना बोर्ड लगा रखा है, जिसमें गहरे जलाशय में डूबने का खतरा बताया गया है, लेकिन हालत यह है कि राजधानी में हुई भारी बारिश के बाद भी थोड़ा पानी जमा नहीं हुआ। • हिन्दुस्तान

पड़ताल में खराब मिले जलाशय

जरा सा भी पानी नहीं

द्वारका सेक्टर-6

द्वारका सेक्टर छह के उद्यान में बनाए गए जलाशय की हालत अलग ही कहानी बयां करती है। यहां पर दिल्ली विकास प्राधिकण की ओर से लगाए गए बोर्ड में लिखा है कि जलाशय में गहरा पानी है। लोगों को अंदर नहीं जाने की सलाह भी दी गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह जलाशय पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है।

झाड़ियों से होता है सामना

खड़खड़ी जटमल

यहां पर तालाब में पेड़ और झाड़ियां उग आई हैं। पेड़ों और झाड़ियों के चलते तालाब तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी का रास्ता नहीं होने के चलते बरिश का पानी जलाशय में नहीं पहुंच रहा है। इसके चलते आसपास के क्षेत्रों में बारिश के समय पानी तो भर जाता है, लेकिन तालाब सूखा रह जाता हैं।

रखरखाव नहीं हो रहा

गीता कॉलोनी

गीता कॉलोनी के नजदीक बनाए गए जलाशय की हालत भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। मानसून का सीजन अब लगभग बीत चुका है। इसके बावजूद यहां पर जलाशय में केवल 25 फीसदी पानी ही भर सका है। जलाशय के किनारे घास और जलीय वनस्पतियां देखने को मिल रही है। जलाशय तक पानी पहुंचाने का रास्ता ही नहीं है।

ये हैं कारण

पानी जाने का रास्ता नहीं होने से परेशानी

जलाशयों के खाली रह जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह पानी का रास्ता नहीं बनाया जाना है। दरअसल, जिन रास्तों से बारिश का पानी जलाशयों-तालाबों में पहुंचता था, वहां पर निर्माण हो गया है या अन्य वजहों से वे छोटी-बरसाती नालियां बाधित हो गई हैं।

हम परिवार के साथ द्वारका सेक्टर छह में जलाशय देखने के लिए आए थे। पर यहां तो जलाशय पूरी तरह से सूखा हुआ है।

-रेणू कादियान, स्थानीय निवासी

तालाब में पानी जाने का उपाय नहीं किए जाने के चलते गांव का जोहड़ लगभग सूखा पड़ा है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

-लाल सिंह यादव, स्थानीय निवासी

फ्लैटों की जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं

डीडीए की पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना में कई फ्लैटों के पंजीकरण और बुकिंग प्रक्रिया जारी है। फ्लैटों के बारे में जानकारी के लिए कॉल सेंटर नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। इस संबंध में डीडीए के नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है।

कॉल सेंटर पर मिलेगी फ्लैटों के बारे में जानकारी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आवासीय योजना के तहत फ्लैटों की जानकारी देने के लिए साइटों पर हेल्प डेस्क लगाए हैं। इसके साथ ही फ्लैट खरीदार डीडीए के कॉल सेंटर नंबर 1800110332 पर कॉल करके फ्लैटों के बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 30 सितंबर 2024

NAME OF NEWSPAPERS---DATED---------------------

नजफगढ़ ज़ोन में अवैध निर्माण पर होगा ऐक्शन

Rajesh.Saroha@timesofindia.com

AI Image

मॉनिटरिंग कमिटी ने किया दौरा, डीसी को ऐक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का दिया आदेश

■ **नई दिल्ली :** मॉनिटरिंग कमिटी को नजफगढ़ जोन के निरीक्षण के दौरान हर तरफ मास्टर प्लान और बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ती हुई दिखी। जोन मे कई जगहों पर अवैध निर्माण हो रहा था, यहां तक कि एग्रीकल्चर लैंड मे भी। जब कमिटी ने बिल्डिंग विभाग के अधिकारियो से सवाल किया, तो अधिकारियो ने बताया कि अवैध निर्माण वाली बिल्डिंग को नोटिस दिया जा चुका है। यह सुनकर कमिटी के सदस्य हैरान रह गए कि नोटिस के बावजूद मौके पर अवैध निर्माण जारी था। मॉनिटरिंग कमिटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर को पूरे जोन का सर्वे कर ऐक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।

मॉनिटरिंग कमिटी ने महिपालपुर, एनएच-48, रजोकरी, समालखा, कापसहेड़ा, बिजवासन, बामनोली, भरथल, ढुल सिरस, पोचनपुर और द्वारका समेत अन्य इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान नजफगढ़ जोन के डिप्टी कमिश्नर, बिल्डिंग विभाग के अधिकारी, डीडीए के लैंड एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर, एसडीएम द्वारका और एसडीएम कापसहेड़ा के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान महिपालपुर और वसंत कुंज बायपास रोड पर सड़क के दोनों ओर मास्टर प्लान 2021 की जमकर अनदेखी होती मिली। कमिटी को जगह-जगह अवैध निर्माण और नॉन-नोटिफाइड रोड पर कमर्शल गतिविधियां चलती मिलीं। महिपालपुर में गेस्ट हाउसों की भरमार है, जहां सड़क पर अतिक्रमण मिला। डीडीए की जमीन पर अवैध पार्किंग और निर्माण सामग्री पड़ी मिली।

नोटिस के बाद भी बंद नहीं किया कंस्ट्रक्शन

जब मॉनिटरिंग कमिटी ने एनएच-48 पर स्थित सेलिब्रेशन गार्डन का मुआयना किया, तो वहां भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पाया गया। कमिटी ने जब बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों से सवाल जवाब किया तो उन्होंने बताया कि गार्डन को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी था। कमिटी ने इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए डिप्टी कमिश्नर को तुरंत अवैध निर्माण रुकवाने के निर्देश दिए। इसी तरह शादी-पार्टियों के लिए बने अन्य मोटल और गार्डनों में भी अवैध निर्माण देखने को मिला। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कमिटी ने डिप्टी कमिश्नर को पूरे जोन का सर्वे कर जल्द से जल्द ऐक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा है, ताकि जोन में हो रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------ । संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 29 सितंबर 2024 ----DATED--------------------

HC ने रोहिणी स्थित तुलसी अपार्टमेंट के संत तुलसीदास सोसायटी को लगाई फटकार

फ्लैट का पजेशन दिए बगैर मेंटिनेंस की डिमांड नहीं कर सकती सोसायटी: HC

Prachi.Yadav@timesofindia.com

AI Image

■ नई दिल्ली : एक व्यक्ति को उसके फ्लैट का पजेशन दिए बिना उससे मेंटिनेंस मांगने पर संबंधित सोसायटी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने सोसायटी से सवाल किया कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। यह व्यक्ति 33 से भी अधिक सालों से अपना फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहा है।

चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच ने रोहिणी, सेक्टर 14 में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के संत तुलसीदास कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को निर्देश दिया कि वह सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता हेमंत कुमार अग्रवाल को उनका फ्लैट सौंपे, उसके बाद मेंटिनेंस के मुद्दे पर दोनो पक्ष आपस मे चर्चा करें। इस प्रक्रिया मे दोनो पक्षो के हितो की समान सुरक्षा के मकसद से कोर्ट ने कहा कि उसके बाद सोसायटी मेंटिनेस के मुद्दे पर अपने कानूनी अधिकारो का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगी।

मौजूदा मामले में प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या उक्त ग्रुप हाउसिंग सोसायटी याचिकाकर्ता को उसके फ्लैट का पजेशन दिए बिना उससे मेंटिनेंस चार्ज और अन्य खर्चो के भुगतान की मांग कर सकती है। दूसरा विवाद, इस बात को लेकर उठा कि क्या कानूनी कार्यवाही में असफल रहने के बाद सोसायटी मुकदमे बाजी में हुए अपने खर्च की वसूली याचिकाकर्ता से करने की अधिकारी है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी के रजिस्ट्रार इसमें प्रमुख उत्तरदायी पक्ष है, जिनकी ओर से एडवोकेट प्रशांत मनचंदा ने कोर्ट को बताया कि 29 अप्रैल, 2024 को ही संबंधित सोसायटी को इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। 6 मई, 2024 को पारित आदेश में हाई कोर्ट संबंधित सोसायटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

क्या है मामला : केस के तथ्यों के मुताबिक, पिछले 33 सालों में पहले तो याचिकाकर्ता की मां संबंधित सोसायटी में अपना घर पाने की चाह में इस दुनिया से चली गईं, जिसका पजेशन 1991 में उन्हें मिलना था। उनके देहांत के बाद सोसायटी की मेंबरशिप याचिकाकर्ता के नाम पर ट्रांसफर हो गई। पर हाई कोर्ट आदि के अपने पक्ष में फैसले आने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं सौंपा गया। सोसायटी पर आरोप लगाया कि उसने हाई कोर्ट के 29 नवंबर 2023 के आदेश का पालन करने की बजाय उन्हें 13 मार्च, 2023 में 4,33,991 रुपय का कथित तौर पर अवैध डिमांड नोटिस भिजवा दिया, जिसमें नवंबर 2016 से लेकर मेंटिनेंस चार्ज, उस पर ब्याज के साथ लिटिगेशन चार्ज, पार्किंग चार्ज आदि भी शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने डीडीए पर भी कोर्ट के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया।

NBT Lens समझिए खबरों के अंदर की बात

मेंटिनेंस पर HC का रुख साफ

सोसायटियों में मेंटिनेंस चार्ज एक ऐसा मुद्दा है, जिसे लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद होता है। इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख साफ है। मौजूदा मामले में कोर्ट ने संबंधित सोसायटी को मेंटिनेंस की मांग करने पर फटकार लगाई, क्योंकि एक व्यक्ति 33 साल से भी अधिक समय से अपने फ्लैट के पजेशन के लिए संघर्ष कर रहा है और मामले में अदालत के कई फैसले उसके पक्ष में आए हैं। पर, इसी HC ने एक दिन पहले एक व्यक्ति का पक्ष सुनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह सोसायटी में रहते हुए मेंटिनेंस चार्ज नहीं दे रहा था। कोर्ट का कहना था कि इतनी बड़ी सोसायटियों के रखरखाव से जुड़े कामों में काफी खर्च होता है।

DDA : नरेला के फ्लैटों को मिला रिस्पॉन्स

अब तक 600 से अधिक फ्लैट्स को लोगों ने खरीदा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

डीडीए की तीनों हाउसिंग स्कीम को इस बार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहां तक की नरेला मे भी 600 से अधिक फ्लैट्स बिक चुके है। डीडीए के मुताबिक, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी सेगमेंट के फ्लैट्स तेजी से बुक हो रहे हैं।

बीते कई सालो से नरेला में बने फ्लैट्स डीडीए के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। एलजी वीके सक्सेना ने इन फ्लैट्स की कमियो को पहचान कर उन्हें दूर करवाया और अब यह फ्लैट्स भी तेजी से बिक रहे हैं। डीडीए के अनुसार जसोला के सभी एचआईजी फ्लैट्स, रोहिणी के सभी एलआईजी फ्लैट्स और अब लोकनायकपुरम के सभी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पूरी तरह बिक चुके है। इसके अलावा द्वारका के पेंटहाउस, सुपर एचआईजी और एचआईजी फ्लैट्स भी पूरी तरह बिक चुके है। 600 से अधिक फ्लैट्स नरेला मे बिक चुके है।

■ लोकनायकपुरम के सभी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पूरी तरह बिक चुके है

■ द्वारका के पेंटहाउस, सुपर एचआईजी और एचआईजी फ्लैट्स भी बिके

कहां कितने फ्लैट्स बिके

सस्ता घर स्कीम मे 1200 से अधिक एलआईजी फ्लैट्स, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम मे 440 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बिक है। रोहिणी मे सभी 708 एलआईजी फ्लैट्स बिक चुके है। नरेला मे 250 से अधिक एलआईजी फ्लैट्स बिके है। रामगढ़ मे भी 183 एलआईजी फ्लैट्स मे से 153 फ्लैट्स बिक चुके है। ईडब्ल्यूएस सेगमेंट मे नरेला मे 300 के करीब फ्लैट्स बिके है।

रिजर्व प्राइज से ज्यादा मिला

बुकिंग शुरू होते ही पहले ही दिन जसोला के सभी एचआईजी फ्लैट्स बिक गए थे। द्वारका में उपलब्ध एक मात्र पेंटहाउस, 3 सुपर एमआईजी, 18 एचआईजी और अधिकांश एमआईजी फ्लैट्स बिड के जरिए बिक गए हैं। द्वारका हाउसिंग स्कीम में 169 प्रीमियम फ्लैट्स के लिए 2000 के करीब लोगों ने ईएमडी कर बिड में हिस्सा लिया था। यहा फ्लैट्स रिजर्व प्राइज से काफी अधिक ऊंचे बिके हैं।

NBT Lens समझिए खबरों के अंदर की बात

अब कैसे मिल रहा इतना अच्छा रिस्पॉन्स?

कुछ समय पहले तक नरेला राजधानी का उपेक्षित इलाका था। वहा न तो बुनियादी सुविधाएं थी और न वह दिल्ली के बाकी हिस्सो से अच्छी तरह से जुड़ा था। ऐसे मे लोगो ने नरेला के फ्लैट्स मे कोई दिलचस्पी नही दिखाई। लेकिन बीते कुछ सालो मे नरेला के विकास पर काफी काम हो रहा है। नरेला को एक सब सिटी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय मे यह दिल्ली का एजुकेशनल हब बनेगा। यहा कई सस्थान शुरू हो चुके है और कुछ अन्य प्रोजेक्ट पाइपलाइन मे है। डीएमआरसी की रिठाला-नरेला-कोंडली कॉरिडोर को नरेला फ्लैट्स से जोड़ा जा रहा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को भी नरेला से जोड़ा जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------- नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2024 दैनिक जागरण

एम्स फ्लाईओवर से यातायात का रेला, गाजीपुर में टोल के खेल में फंस रहे वाहन चालक

स्वच्छ वायु के बाटलनेक

अजय राय • जागरण

नई दिल्ली: फ्लाईओवर के जाल में कई मार्गों के यातायात को निकलने की उचित व्यवस्था न हो तो जाम झेलना पड़ेगा। ऐसा ही एम्स के पास बहुमार्गीय फ्लाईओवर के पास सफदरजंग अस्पताल के सामने हो रहा है। छह लेन का ट्रैफिक तीन लेन में निकलता है। उधर, गाजीपुर के पास एमसीडी के टोल बैरियर के कारण लोग जाम में फंस रहे हैं।

सफदरजंग के पास तीन ओर से ट्रैफिक आता है। इसके प्रबंधन को वहां टीम रहती है। अतिक्रमण हटाने के साथ यातायात प्रबंधन के अन्य विकल्प देखे जा रहे हैं।
–अजय चौधरी, विशेष आयुक्त, यातायात

सफदरजंग के सामने छह लेन का यातायात तीन लेन में आ रहा

एम्स फ्लाईओवर पर बारापुला से धौलाकुआं की ओर जाने वाला दो लेन का यातायात, साउथ एक्स से धौलाकुआं जाने वाला दो लेन का ट्रैफिक और ग्रीन पार्क की ओर से धौलाकुआं जाने वाला दो लेन का तीन तरफ से ट्रैफिक यानी कुल छह लेन का यातायात रिंग रोड पर सफदरजंग अस्पताल के सामने एक साथ तीन लेन में मिलता है। ऐसे में, यहां वाहनों को ठूंसे जाने जैसी स्थिति बन जाती है। वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे सफदरजंग अस्पताल के सामने जाम लगता है। इसके बाद यहीं पर एम्स का ट्रामा सेंटर है, जहां गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता है। यहां जाम पूरे दिन रुक रुक कर लगता रहता है। व्यस्त समय में यह जाम पीछे साउथ एक्स तक पहुंच जाता है। यहां के सर्विस रोड पर रेहड़ी वालों कब्जा रहता है। इससे मरीज और तीमारदार भी फंसते हैं। यहीं पर सफदरजंग के सामने किदवई नगर इलाके में रिहायश के साथ आफिस भी खुल रहे हैं। इससे दूसरी तरफ भी आने वाले वाहनों की संख्या बढ़ेगी। यहां सड़क के दोनों तरफ जाम की समस्या बढ़ेगी। यातायात विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी जंक्शन पर कई तरफ से आने वाले यातायात को मिलाने से जाम की समस्या होगी। इसलिए जरूरी है कि अलग-अलग दिशाओं से आने वाले यातायात को एक जगह एक साथ न मिलाकर आगे पीछे मिलने दिया जाए। इससे धीरे-धीरे वाहन एक ही मार्ग पर आ जाते हैं।

सफदरजंग अस्पताल के सामने बने बाटलनेक के कारण लगा जाम • जागरण

गाजीपुर में एमसीडी के टोल वैरियर से और दूर हो रही दिल्ली

एम्स फ्लाईओवर से करीब 15 किमी दूरी पर गाजीपुर के पास भी एनएच नौ पर जाम से वाहन चालक परेशान हैं। व्यस्त समय में नोएडा-गाजियाबाद की ओर से आने वाले वाहन यहां एमसीडी के टोल बैरियर के पास अटक जाते हैं, जिससे यहां लंबा जाम लग जाता है। यहां टोल वसूलने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर भी कर्मी खड़े रहते हैं। एनएच नौ पर जाम के दौरान यूपी बार्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन डीएमई पर चले आते हैं और एक्सप्रेसवे बाईं तरफ वाली लेन में इस तरह के वाहनों टोल के लिए कतार लगी रहती है। ऐसे में व्यस्त समय में एक्सप्रेसवे पर भी यहां जाम लगता है। टोल कर्मी डीएमई से गुजर रहे किसी व्यावसायिक वाहन को रोकने के लिए बीच लेन में भी घुस जाते हैं। ऐसा करने पर एक्सप्रेस वे पर करीब 300 से 500 वाहन प्रभावित होते हैं। वहीं, एनएच नौ पर लंबी लंबी कतारों में वाहन चालक फंसे रहते हैं। इसी क्रम में रात में नो एंट्री खुलने से पहले इस टोल से पहले यूपी गेट तक भारी वाहन सड़क पर आकर एक ओर खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण भी एनएच नौ पर लंबा जाम लगता है। इसी क्रम में नो एंट्री हटने के इंतजार में डीएमई पर भी वाहन खड़े रहते हैं। एमसीडी का कहना है कि [illegible] अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और [illegible] लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं हो पाया है।

गाजीपुर के पास टोल बैरियर पर रास्ता संकरा होने से लगता है जाम • जागरण

एक नजर में

आवासीय क्षेत्र के पास हरित क्षेत्र विकसित करेगा डीडीए

नई दिल्ली: रक्षाबंधन के अवसर पर डीडीए द्वारा शुरू की गई आवासीय योजनाओं को लेकर लोग रुचि दिखा रहे हैं। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि हरित और स्वच्छ दिल्ली को सुनिश्चित करने के लिए डीडीए आवासीय क्षेत्र के आसपास हरित क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। डीडीए के अनुसार सस्ता घर और मध्यम वर्गीय आवासीय योजना के अंतर्गत 1200 से अधिक एलआइजी और 440 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बिक गए। रोहिणी के सभी 708 एलआइजी फ्लैट और नरेला में करीब 250 फ्लैट बुक हुए। रामगढ़ में 183 एलआइजी फ्लैट में से 153 फ्लैट बिक गए हैं। 10 सितंबर से आवासीय योजना की बुकिंग शुरू हुई थी। (वि)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------- हिन्दुस्तान नई दिल्ली, रविवार, 29 सितंबर 2024 ---DATED---------------------

ईदगाह पार्क में प्रतिमा स्थापित करने के लिए निर्माण शुरू

तैयारी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली के सदर बाजार में ईदगाह के पास स्थित पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच नगर निगम ने चारदीवारी का काम शुरू कर दिया।

निगम के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, डीडीए की जमीन पर काम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। इसमें ईदगाह के पास स्थित पार्क की जमीन पर दावा किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद चारदीवारी का काम शुरू कर दिया है।

ईदगाह के पास पार्क में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। • हिन्दुस्तान

इस कार्य को निगम के साथ डीडीए के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से किया गया। पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है। इसके बाद रानी झांसी लक्ष्मीबाई स्मारक समिति प्रतिमा लगाने का कार्य शुरू करेगी। विर्ष 2019 में रानी झांसी फ्लाईओवर के पास स्थित गोलचक्कर पर लगी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लाया गया था।

सुरक्षा के बंदोबस्त के बीच इलाके में निगरानी

निर्माण के दौरान दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स की तीन कंपनी, दिल्ली पुलिस की तीन प्लाटून एवं सीआरपीएफ की महिला जवानों की एक प्लाटून तैनात की गई। इस दौरान डीसीपी मनोज कुमार मीना एवं एडिशनल डीसीपी सुधांशु वर्मा लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए थे। इसके लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई।

जाम लगने की वजह से स्थानांतरण का फैसला

निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि प्रतिमा को हटाने का फैसला, इसलिए किया गया क्योंकि गोलचक्कर पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। इसके बाद स्थायी समिति में प्रतिमा को मौजूदा स्थान से स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। इसके लिए निगम ने डीडीए से जगह का अनुरोध किया था। डीडीए ने प्रतिमा को स्थानांतरित करने के लिए ईदगाह के पास स्थित पार्क में जमीन दे दी थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, SEPTEMBER 28, 2024

NAME OF NEWSPAPERS---DATED----------------------

Smriti Van's poor condition led to loss of crores: Plea

Kushagra.Dixit@timesofindia.com

New Delhi: A south Delhi resident, who had moved National Green Tribunal (NGT) highlighting the degradation of Smriti Van and the pollution in Machli Talab inside it, has raised several objections to a report filed by the forest department and the inability of Delhi Development Authority (DDA) to fix the issues.

Alleging negligence by the authorities towards the preservation of the reserved forest area spread over 34 acre in Vasant Kunj, petitioner Amit Aggarwal, in a report submitted to NGT on Sept 14, also estimated the monetary or economic loss at Rs 920 crore in 20 years and urged the tribunal to put it on the record and constitute an expert committee to assess further damages in terms of economic loss.

It also highlighted that the sewage treatment plant was not functioning properly and demanded that the officers responsible should be held liable for the damages and fined.

Aggarwal, a resident of Vasant Kunj, approached NGT in 2022, requesting the maintenance and reinstatement of Smriti Van and removal of all non-forest activities like religious ceremonies, lighting, DJs, etc. The petition also highlighted pollution in Machli Talab, a six-acre natural fish pond. He alleged DDA was maintaining Smriti Van like a park while it was declared a reserve forest under South Central Ridge in 1994, which meant that the plantation and maintenance must be done as per a forest area and non-forest activities must not be allowed.

Delhi Pollution Control Committee (DPCC) told NGT in Sept that the dissolved oxygen in water was nil and ammoniacal nitrogen was not meeting the standards in Machli Talab. DPCC said that as untreated sewage was falling into the pond, it had written to Delhi Jal Board and DDA. Dissolved oxygen is the amount of oxygen present in a waterbody and aquatic life cannot survive if dissolved oxygen is nil.

File photo

IN BAD SHAPE

"Besides the lake and other amenities, there is at least 20 acre. There should have been three-layered plantation and the standards for plantation is to have 400 canopy trees, 800 mid-level trees and 1,200 shrubs per acre. By this calculation, there should be at least 8,000 canopy trees alone. But Smriti Van has only 3,600, of which 2,400 were recently planted, after we took the matter to the tribunal," said Aggarwal.

A Supreme Court expert committee has assessed the economic value of a tree at Rs 74,500 per year, and hence, in 10 years, there is an economic loss of Rs 14,90,000 per tree, and of Rs 9,68,50,00,000 in 20 years, he claimed. "This is the total environmental loss and loss to the quality of human life in Delhi," he alleged.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS—— दैनिक जागरण नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2024 ——DATED——

दिल्ली विकास प्राधिकरण

डी.एन. नं.: 06/2024/पीबी-1/डीडीए एवं डी.एन. नं.: 08/2024/पीबी-1/डीडीए

रिक्ति सूचना

डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर मुख्य विधि सलाहकार के पद और उप मुख्य विधि सलाहकार (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12) के 1 प्रत्याशित पद को भरने के संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तार

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिक्ति सूचना डी.एन. नं. 06/2024/पीबी-1/डीडीए दिनांक 10.07.2024 (प्रति संलग्न) द्वारा डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर ग्रेड वेतन रु. 8700/- के साथ पीबी-4 (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 में संशोधित) में मुख्य विधि सलाहकार के पद को भरने के लिए केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त या वैधानिक निकायों के तहत कानूनी विषयों/मामलों को निपटाने से जुड़े पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं और इसके लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29.07.2024 थी। अब इसे बढ़ाकर **15.10.2024** तक कर दिया गया है।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिक्ति सूचना डी.एन. नं. 08/2024/पीबी-1/डीडीए दिनांक 16.07.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से डीडीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर ग्रेड वेतन रु. 7600/- के साथ पीबी-3, रु. 15600-39100 (7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 में संशोधित) में उप मुख्य विधि सलाहकार के 01 पद को भरने के लिए केंद्र/राज्य सरकार/अर्ध-सरकारी/केन्द्रशासित प्रशासन/सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में कार्यरत योग्य अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं और इसके लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.08.2024 थी। अब इसे बढ़ाकर **15.10.2024** तक कर दिया गया है।

उपर्युक्त पदों के संबंध में आवेदन के प्रारूप के साथ आवश्यक योग्यता, अधिकतम आयु सीमा और अनुभव आदि की पूरी अधिसूचना डीडीए की वेबसाइट **www.dda.gov.in** पर उपलब्ध है। उपर्युक्त रिक्ति अधिसूचना की अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

ह0/-
आयुक्त (कार्मिक)

ddaofficial official dda official dda पर हमें फॉलो करें
कृपया हमारी वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टोल फ्री नंबर 1800110332 डायल करें